

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 735 सन 2019

अनवान :-

1. महावीर सिंह पुत्र बिरजुसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बिरजु सिंह पुत्र कालूसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मानसिंह पुत्र बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. भंवर कवर 4 बसंत कवर 5 कृष्णा कवर 6 रोशनी 7 बिन्दु कवर पुत्रीया बिरजुसिंह जाति राजपुत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 20/3/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 82/37 के प०न० 320/407(36) किला न० 6 ,7 ,11 ता 25की कुल 4.3010हैक् , प०न० 319/407(37) के किला न० 14 ता 17 ,24 ,25/1.5180हैक् कुल 5.8190हैक् में से बिरजुसिंह का 1/6 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 97/106 के प०न० 319/408(49) किला न० 4 ता 7 ,13 ता 15/1.6950हैक् प०न० 320/408(50) के किला न० 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ता 24/2.9600हैक् प०न० 0 मु०न० 88/25 के किला न० 0/3 की 0.0760हैक् गै०मु० रास्ता प०न० 0 मु०न० 88/31 के किला न० 0 की 0.1000हैक् गै०मु० रास्ता कुल 6.8310हैक् भूमि में से बिरजुसिंह के नाम 1/ हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 485/446 के मु०न० 0 के किला न० 0/1 की 0.3160हैक् गै०मु० रास्ता प०न० 311/404(84) के किला न० 1 ,2 प०न० 307/415(298) के किला न० 3 ता 8 प०न० 308/415 (299) के किला न० 1 ता 5 ,7 ता 10/2.770 हैक् प०न० 308/416(306) किला न० 21 ता 25 प०न० 307/417(328) के किला न० 15/2 की 0.1260 ,प०न० 308/417(329) के किला न० 1 ता 5 ,7 ता 13/2.8850हैक् कुल 8.7540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कालूसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कालूसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कालूसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कालूसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 82/37 के प0न0 320/407(36) किला न0 6 ,7 ,11 ता 25की कुल 4.3010हैक , प0न0 319/407(37) के किला न0 14 ता 17 ,24 ,25/1.5180हैक कुल 5.8190हैक में से विरजुसिह का 1/6 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 97/106 के प0न0 319/408(49) किला न0 4 ता 7 ,13 ता 15/1.6950हैक प0न0 320/408(50) के किला न0 1 ता 4 ,7 ता 14 ,17 ता 24/2.9600हैक प0न0 0 मु0न0 88/25 के किला न0 0/3 की 0.0760हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 0 मु0न0 88/31 के किला न0 0 की 0.1000हैक गै0मु0 रास्ता कुल 6.8310हैक भूमि में से विरजुसिह के नाम 1/ हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बरानी के खाता संख्या 485/446 के मु0न0 0 के किला न0 0/1 की 0.3160हैक गै0मु0 रास्ता प0न0 311/404(84) के किला न0 1 ,2 प0न0 307/415(298) के किला न0 3 ता 8 प0न0 308/415 (299) के किला न0 1 ता 5 ,7 ता 10/2.770 हैक प0न0 308/416(306) किला न0 21 ता 25 प0न0 307/417(328) के किला न0 15/2 की 0.1260 ,प0न0 308/417(329) के किला न0 1 ता 5 ,7 ता 13/2.8850हैक कुल 8.7540हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कालूसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कालूसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कालूसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 82/37 की कुल 5.8190हैक में से विरजुसिह का 1/6 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 97/106 की कुल 6.8310हैक भूमि में से

राजस्व  
बोहर (इजुजगढ़)

विरजुसिह के नाम 1/ हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 की कुल 8.7540 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार वाद भूमि में से चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(54) के किला न0 1,2 की भूमि को छोड़ कर शेष भूमि कालुसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कालुसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के नाम से दर्ज है वादी के दादा कालुसिह पुत्र विजेन्द्रसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6,8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिव के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिफ्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिफ्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 82/37 की कुल 5.8190 हेक्टर में से विरजुसिह का 1/6 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 97/106 की कुल 6.8310 हेक्टर भूमि में से विरजुसिह के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 की कुल 8.7540 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(54) के किला न0 1,2 की भूमि को छोड़ कर शेष भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिव के खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(54) के किला न0 1,2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिफ्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपसुपुड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर सिंह पुत्र बिरजुसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

- 1 बिरजु सिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
- 2 मानसिंह पुत्र बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
- 3 भंवर कवर 4 बसंत कवर 5 कृष्णा कवर 6 रोशनी 7 बिन्दु कवर पुत्रीया बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 735 सन 2019 निर्णय दिनांक- 20/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 82/37 की कुल 5.8190हैक् में से बिरजुसिंह का 1/6 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 97/106 की कुल 6.8310हैक् भूमि मे से बिरजुसिंह के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 की कुल 8.7540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(54) के किला न0 1,2 की भूमि को छोड कर शेष भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 6 बारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(54) के किला न0 1,2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )

## संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महावीर सिंह पुत्र बिरजुसिंह जाति राजपूत साकिन जसाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. बिरजु सिंह पुत्र कालुसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मानसिंह पुत्र बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. भंवर कवर 4 बसंत कवर 5 कृष्णा कवर 6 रोशनी 7 बिन्दु कवर पुत्रीया बिरजुसिंह जाति राजपुत निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 735 सन 2019 निर्णय दिनांक- 20/03/20

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 25 जेएसएन के खाता संख्या 82/37 की कुल 5.8190हैक् में से बिरजुसिंह का 1/6 हिस्सा एवं चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 97/106 की कुल 6.8310हैक् भूमि मे से बिरजुसिंह के नाम 1/ हिस्सा व रोही मौजा चक 6 वारानी के खाता संख्या 485/446 की कुल 8.7540हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में से चक 6 वारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(84) के किला न0 1 ,2 की भूमि को छोड कर शेष भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 वहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 6 वारानी के खाता संख्या 485/446 के प0न0 311/404(84) के किला न0 1 ,2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक/9/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर (हनुमानगढ़ जिला)  
नोहर